सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण संचालनालय, मध्यप्रदेश
(1250, तुलसीनगर, भोपाल–462003)
(Telephone- 0755-2556916, FAX-0755-2552665)
{ E-mail address: dpswbpl@mp.gov.in, URL: htpp://samagra.gov.in}

क्रमांक / सा.सहा. / 2016 / 3271 भोपाल, दिनांक 04 / 11 / 2016

प्रति,

1. **समस्त कलेक्टर**
   (जिला – शहडोल, अनूपपुर, उमरिया, कटनी एवं बुरहानपुर छोड़कर)
2. **समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत**
   (जिला – शहडोल, अनूपपुर, उमरिया, कटनी एवं बुरहानपुर छोड़कर)
   मध्यप्रदेश।

विषय :– **मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजना अंतर्गत मजदूरों के नवीन पंजीयन, पंजीयन का नवीनीकरण एवं सत्यापन करने हेतु दिनांक 10 नवम्बर 2016 से 30 नवम्बर 2016 तक विशेष अभियान चलाकर कार्यवाही करने के संबंध में।**

ग्रामीण क्षेत्र में 18 से 59 वर्ष आयुवर्ग के ऐसे खेतिहर मजदूर जिनके परिवार के किसी भी सदस्य के नाम से खेती की भूमि न हो तथा जो जीविकोपार्जन हेतु खेती, उद्यानिकी, वनोपज संग्रह, वन रोपड़, मत्स्याखेट आदि में नियोजित होकर स्वयं श्रम करते हों तथा राज्य शासन की श्रमिक संवर्ग की किसी अन्य योजना अर्थात् म.प्र. भवन संनिर्माण कर्मकार मण्डल, हम्माल एवं तुलावटी इत्यादि के अंतर्गत पंजीकृत न हों को मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजना अंतर्गत पंजीयन किया जाता है। योजनांतर्गत वर्तमान में जनपद पंचायतों द्वारा उनके क्षेत्र में पंजीकृत मजदूरों का समग्र पोर्टल पर निर्धारित प्रक्रिया अनुसार लगभग 10,97,773 मजदूरों का पंजीयन किया गया है।

2. योजना अंतर्गत पंजीकृत मजदूर को पात्रतानुसार प्रसूति सहायता, प्रसूति अवकाश सहायता, चिकित्सा सहायता, छात्रवृत्ति, शिक्षा प्रोत्साहन, विवाह, बीमा सहायता, अंत्येष्टि सहायता एवं खाद्य सुरक्षा का लाभ संबंधित विभागों द्वारा दिया जाता है।

3. दिनांक 25.10.2016 को आयोजित कमिश्नर्स / कलेक्टर्स कॉफ्रेंस में माननीय मुख्यमंत्रीजी द्वारा योजना की समीक्षा की एवं अपेक्षाकृत कम मजदूरों के पंजीयन पर चिंता व्यक्त की गई एवं योजना अंतर्गत समस्त खेतिहर मजूदरों का **दिनांक 10 नवम्बर से 30 नवम्बर 2016 तक विशेष अभियान चलाया जाकर पात्रतानुसार अधिक से अधिक नवीन पंजीयन एवं पंजीकृत हितग्राहियों के पंजीयन का नवीनीकरण के निर्देश दिये।**

4. माननीय मुख्यमंत्रीजी के दिये गये निर्देशानुसार दिनांक 10 नवम्बर 2016 से 30 नवम्बर 2016 तक उक्त अभियान के दौरान योजनांतर्गत मजदूरों के नवीन पंजीयन एवं पंजीयन का नवीनीकरण करने हेतु निम्नानुसार कार्यवाही किया जाना है :–

4.1 पंजीयन

4.1.1 नवीन पंजीयन – ऐसे खेतिहर मजदूर जो योजना अंतर्गत पात्रता रखते है किंतु जिनका योजना अंतर्गत पंजीयन नहीं हो सका है, ग्राम पंचायत स्तर पर कैम्प आयोजित कर ग्राम पंचायत सचिव द्वारा समस्त पात्र मजदूरों के आवेदन पत्र (प्रारूप संलग्न परिशिष्ट –'अ') व दस्तावेज प्राप्त किये जायेगे। आवेदनों व दस्तावेजों को संकलित कर आवेदनों का परीक्षण किया जायेगा।

4.1.2 परीक्षण उपरांत यदि आवेदक मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजना हेतु पात्र है, तो सरपंच व ग्राम पंचायत सचिव द्वारा आवेदन पर संयुक्त हस्ताक्षर कर पंजीयन हेतु मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत को अनुशंसा की जायेगी।

4.1.3 ग्राम पंचायत की अनुशंसा पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत द्वारा विशेष अभियान (7 दिवस) की अवधि के भीतर तत्काल पंजीयन किया जावेगा।

4.1.4 पंजीयन कर समस्त मजूदरों को मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा कार्ड (प्रारूप परिशिष्ट – 'ब') उपलब्ध कराया जायेगा, जिसमें मजदूर का समग्र परिवार आई.डी., समग्र आई.डी., नाम, पिता/पति का नाम, लिंग, जन्मदिनांक, जाति, वैवाहिक स्थिति, आधार नम्बर (अनिवार्य नही), बचत खाता नम्बर, फोटो, परिवार के अन्य सदस्यों का विवरण, पंजीयन क्रमांक, कार्ड जारी दिनांक एवं वैद्यता दिनांक (जारी दिनांक से 5 वर्ष) अंकित होगा।

4.1.5 पंजीयन अवधि 5 वर्ष की होगी।

4.2 पंजीयन का नवीनीकरण

4.2.1 ऐसे खेतिहर मजदूर जिनका पंजीयन पूर्व में किया जा चुका है एवं जिनकी वैद्यता अवधि समाप्त हो गई है, उन सभी पात्र मजदूरों के पंजीयन का नवीनीकरण अगले 5 वर्ष के लिए ग्राम पंचायत की अनुशंसा पर किया जाये।

4.2.2 ग्राम पंचायत स्तर आयोजित कैम्प में ग्राम पंचायत सचिव द्वारा ग्राम पंचायत के अंतर्गत पूर्व में पंजीकृत समस्त खेतिहर मजदूरों जिनका नवीनकरण किया जाना है के आवेदन पत्र नवीनीकरण हेतु (प्रारूप संलग्न परिशिष्ट –'अ') प्राप्त किये जायेगे। आवेदनों को संकलित कर आवेदनों का परीक्षण किया जाये।

4.2.3 परीक्षण उपरांत यदि आवेदक वर्तमान में मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजना हेतु पात्र है, तो सरपंच व ग्राम पंचायत सचिव द्वारा संयुक्त हस्ताक्षर कर पंजीयन का नवीनीकरण करने हेतु मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत को अनुशंसा की जायेगी।

4.2.4 ग्राम पंचायत की अनुशंसा पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत द्वारा विशेष अभियान (7 दिवस) की अवधि के भीतर पंजीयन का नवीनीकरण किया जावेगा।

4.2.5 पंजीयन का नवीनकरण कर समस्त मजूदरों को मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा कार्ड (प्रारूप परिशिष्ट – 'ब') उपलब्ध कराया जायेगा, जिसमें मजदूर का समग्र परिवार आई.डी., समग्र आई.डी., नाम, पिता/पति का नाम, लिंग, जन्मदिनांक, जाति, वैवाहिक स्थिति, आधार नम्बर (अनिवार्य नही), बचत खाता नम्बर, फोटो, परिवार के अन्य सदस्यों का विवरण, पंजीयन क्रमांक, कार्ड नवीनीकरण की दिनांक एवं वैद्यता दिनांक (जारी दिनांक से 5 वर्ष) अंकित होगा।

4.2.6 पंजीयन की नवीन अवधि 5 वर्ष की होगी।

5. समग्र श्रमिक पोर्टल पर पर मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजना अंतर्गत पंजीकृत मजदूरों के पंजीयन, नवीनीकरण व सत्यापन की प्रक्रिया :–

समग्र श्रमिक पोर्टल पर निम्न सुविधाएं व रिपोर्ट (सूची) उपलब्ध कराई जायेगी, जिनकी सहायता से कैम्प में मजदूरों के नवीन पंजीयन, पंजीयन के नवीनीकरण एवं मजदूरों के सत्यापन में सहायता हो सकेगी :–

5.1 ग्राम, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिलेवार योजना अंतर्गत जनपद पंचायत द्वारा समग्र पोर्टल पर पंजीकृत मजदूरों की संख्या व रिपोर्ट (सूची)।

ग्राम पंचायत	ग्राम	पंजीकृत हितग्राही का नाम एवं पिता/पति का नाम	लिंग	जन्म दिनांक (आयु)	जाति	समग्र परिवार आई.डी.	हितग्राही की समग्र आई.डी.
1	2	3	4	5	6	7	8

वैवाहिक स्थिति	आधार नम्बर	मोबाइल नम्बर	परिवार सदस्यों का विवरण					
			नाम	हितग्राही से संबंध	आयु	लिंग	समग्र आई.डी.	वैवाहिक स्थिति
9	10	11	12	13	14	15	16	17

हितग्राही के पंजीयन का विवरण			बचत खाते का विवरण			पता
पंजीयन क्रमांक	पंजीयन दिनांक	वैद्यता अवधि (दिनांक)	वित्तीय संस्था का नाम एवं शाखा का नाम	आई.एफ. एस.कोड	बचत खाता नम्बर	
18	19	20	21	22	23	24

5.2 ऐसे मजदूरों की सूची जो पूर्व में पोर्टल पर योजना अंतर्गत पंजीकृत थे, किंतु स्थानीय निकायों द्वारा पोर्टल से हटाया गया है। 5.1 की तालिका में क्रं. कॉलम – (18–19) के उपरांत पोर्टल से हटाने का कारण सहित।

5.3 दिनांक 10 नवम्बर 2016 से 30 नवम्बर 2016 तक अभियान के अंर्तगत ग्राम पंचायत स्तर पर आयोजित कैम्प में नवीन पंजीयन व पंजीयन के नवीनीकरण की जानकारी को ऑनलाईन समग्र श्रमिक पोर्टल पर दर्ज करने की प्रक्रिया :–

5.3.1 <u>ग्राम पंचायत स्तर पर</u>

- ग्राम पंचायत सचिव श्रमिक पोर्टल पर लॉगईन करेंगे।

<u>नवीन पंजीयन</u> –

- आयोजित कैम्प में जिन मजदूरों का योजना अंतर्गत नवीन पंजीयन किया गया है, समग्र आई.डी. की सहायता से पोर्टल पर उन मजदूरों को योजना अंतर्गत नवीन पंजीयन के रूप में चिन्हित करेंगे।

<u>पंजीयन का नवीनीकरण</u> –

- आयोजित कैम्प में ऐसे खेतिहर मजदूर जिनका पंजीयन पूर्व में किया जा चुका है, व उनके पंजीयन की अवधि समाप्त हो गई है, उन सभी मजदूरों का चिन्हांकन पोर्टल पर उपलब्ध रिपोर्ट (सूची) के माध्यम से किया जायेगा।
- यदि व्यक्ति पूर्व से पंजीकृत मजदूर है किंतु उसका पंजीयन समग्र पोर्टल पर नहीं किया गया है, तो समग्र आई.डी. की सहायता से चिन्हांकन किया जायेगा।

<u>पोर्टल पर उपलब्ध मजदूरों की सूची का सत्यापन</u> –

श्रमिक पोर्टल पर उपलब्ध कराई गई रिपोर्ट (सूची) के आधार पर मजदूरों का सत्यापन किया जायेगा, जिसमें मुख्यतः

- ऐसे व्यक्ति जो पोर्टल पर मजदूर के रूप में पंजीकृत है, किंतु वास्तव में मजदूर नहीं है, तो ग्राम पंचायत सचिव द्वारा उन व्यक्तियों को रिपोर्ट (सूची) से से हटाने की अनुशंसा की जायेगी, साथ ही संबंधित व्यक्ति को लिखित में सूचना प्रदान की जायेगी।
- किसी मजदूर की प्रोफाइल में कार्ड नम्बर, जारी दिनांक, वैद्यता दिनांक में त्रुटि है, तो उक्त जानकारी को त्रुटिरहित करना सुनिश्चित करेंगे।

पात्र मजदूरों की निम्न जानकारी को पोर्टल पर दर्ज/संशोधित करना –

- निर्देश क्रं. 5.1 में उल्लेखित तालिका अनुसार

<u>मजदूरों की सूची नवीन पंजीयन, नवीनीकरण एवं सत्यापन हेतु जनपद पंचायत को प्रेषित करना</u> –

ग्राम पंचायत सचिव द्वारा पोर्टल पर सत्यापित मजदूरों का नवीन पंजीयन, पंजीयन का नवीनीकरण व मजदूरों के सत्यापन हेतु मजदूरों की जानकारी (सूची) अनुशंसा सहित जनपद पंचायत को प्रेषित की जायेगी।

5.3.2 <u>जनपद पंचायत स्तर पर</u>

- ग्राम पंचायत सचिव की अनुशंसा पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत द्वारा मजदूर का सत्यापन उपरांत नवीन पंजीयन, पंजीयन का नवीनीकरण एवं सत्यापन किया जावेगा।
- नवीन पंजीयन अथवा पंजीयन के नवीनीकरण के उपरांत पंजीयन क्रंमांक (समग्र आई.डी.), पंजीयन दिनांक (पोर्टल द्वारा जेनरेट) एवं वैद्यता दिनांक (5 वर्ष की गणना के आधार पर पोर्टल द्वारा जेनरेट) होगा।
- पोर्टल पर चिन्हित ऐसे व्यक्ति जो मजदूर के रूप में पंजीकृत है, किंतु वास्तव में मजदूर नहीं है, तो ग्राम पंचायत सचिव द्वारा उन व्यक्तियों को पोर्टल से हटाने की अनुशंसा की जायेगी, प्राप्त अनुशंसा के आधार पर जनपद पंचायत द्वारा उन व्यक्तियों को सूची से हटाने की कार्यवाही सुनवाई का पर्याप्त अवसर देने के बाद की जायेगी। जिसकी रिपोर्ट भी पोर्टल पर उपलब्ध करायेगे। (निर्देश की तालिका 5.2 के अनुसार)

5.3.3 <u>कार्ड वितरण</u>

- नवीन पंजीयन अथवा पंजीयन का नवीनीकरण कर समस्त मजूदरों को मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा कार्ड (प्रारूप परिशिष्ट – 'ब') ग्राम पंचायत सचिव द्वारा श्रमिक पोर्टल से डाउनलोड कर मजदूरों को उपलब्ध कराया जायेगा, जिसमें मजदूर का समग्र परिवार आई.डी., समग्र आई.डी., नाम, पिता/पति का नाम, लिंग, जन्मदिनांक, जाति, वैवाहिक स्थिति, आधार नम्बर (अनिवार्य नही), बचत खाता नम्बर, फोटो, परिवार के अन्य सदस्यों का विवरण, पंजीयन क्रमांक, कार्ड जारी दिनांक एवं वैद्यता दिनांक (जारी दिनांक से 5 वर्ष) अंकित होगा।

6. मजदूरों के नवीन पंजीयन, नवीनीकरण व सत्यापन हेतु एन.आई.सी. म.प्र. द्वारा पोर्टल पर आवश्यक प्रावधान करने की कार्यवाही प्रचलन में है, ऑनलाईन प्रक्रिया के संबंध में आगामी 2–3 दिवस में पृथक से पत्र के माध्यम से अवगत कराया जायेगा।

7. उक्त अभियान के अंतर्गत कार्यवाही हेतु बजट प्रावधान करने की कार्यवाही प्रचलन में है, बजट व्यवस्था के संबंध में आगामी 2–3 दिवस में अवगत कराया जायेगा।

8. **प्रचार–प्रसार –**

उक्त अभियान के अंतर्गत नवीन पंजीयन, नवीनीकरण व सत्यापन हेतु व्यापक प्रचार–प्रसार किया जाये, जिसके लिये दीवार लेखन, डोंडी पिटवाकर, फ्लेक्टस प्रिंटिंग, स्थानीय दैनिक समाचार पत्र इत्यादि माध्यमों का उपयोग किया जाये, जिससे कि अधिक से अधिक पात्र व्यक्तियों को योजना अंतर्गत पंजीकृत किया जा सके।

9. **रैण्डम सत्यापन हेतु दल का गठन –**

विशेष अभियान के अंतिम दो दिनो की अवधि में कलेक्टर को यह सुनिश्चित करने के लिये कि कोई पात्र हितग्राही पंजीयन से छूट तो नहीं गया है, के लिये रैण्डम सत्यापन हेतु दल का गठन करेंगे। गठित दल ग्रामीण क्षेत्र का भ्रमण कर कलेक्टर को वस्तुस्थिति से अवगत करायेगा। कलेक्टर द्वारा छूटे हुये हितग्राहियों के पंजीयन के लिये वहॉ के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत व सचिव, ग्राम पंचायत को निर्देशित करेंगे।

10. **समीक्षा –**

10.1 जिला स्तर पर कलेक्टर एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत अभियान के दौरान प्रतिदिन समीक्षा करेंगे। (कृषि विभाग के उपलब्ध खेतिहर मजदूर के आंकडो से मिलानकर)

10.2 विभाग स्तर पर साप्ताहिक समीक्षा की जायेगी।

दिनांक 10 नवम्बर 2016 से 30 नवम्बर 2016 तक आयोजित अभियान के अंतर्गत उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाये। जिससे माननीय मुख्यमंत्रीजी की मंशा के अनुरूप समस्त मजदूरों का पंजीयन सुनिश्चित हो सके तथा ऑनलाईन पंजीयन होने के उपरांत पंजीकृत मजदूरों के पंजीयन की नियमित समीक्षा संभव हो सकेगी तथा भविष्य में भी उक्त प्रक्रिया का पालन कर नवीन पंजीयन किया जायेगा। उपरोक्त कार्य के महत्व एवं समय–सीमा को ध्यान में रखते हेतु योजनांतर्गत पात्रतानुसार एवं नियमानुसार अधिक से अधिक मजदूरों का पंजीयन एवं पंजीयन का नवीनीकरण करवाने हेतु अपने सभी संबंधित मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, सरपंच एवं ग्राम पंचायत सचिव को निर्देशित करने का कष्ट करें।

(वीरेन्द्र कुमार बाथम)
प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन
सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन
कल्याण, विभाग

पृ. क्रमांक/सा.सहा./2016/3272 भोपाल दिनांक 04/11/2016

प्रतिलिपी :–

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, मुख्यमंत्री कार्यालय।
2. निज सचिव, मान्नीय मंत्रीजी, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग, म.प्र.शासन।
3. अपर मुख्य सचिव, म.प्र. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग।
4. समस्त संभागीय आयुक्त म.प्र.।
5. संचालक, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण।
6. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, एन.आई.सी. म.प्र., विंध्याचल भवन भोपाल।
7. श्री सुनील जैन, तकनीकी संचालक, एन.आई.सी. म.प्र., विंध्याचल भवन भोपाल की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
8. समस्त संयुक्त संचालक/उप संचालक, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण म.प्र.। (जिला – शहडोल, अनूपपुर, उमरिया, कटनी एवं बुरहानपुर छोड़कर)
9. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत म.प्र. की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। (जिला – शहडोल, अनूपपुर, उमरिया, कटनी एवं बुरहानपुर छोड़कर)

प्रमुख सचिव,
म.प्र. शासन
सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन
कल्याण, विभाग

परिशिष्ट–एक

पंजीयन/नवीनीकरण शुल्क रु.– 10.00

मध्यप्रदेश शासन

सामाजिक न्याय विभाग एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग

प्रति,

1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
   जनपद पंचायत ..... जिला .....
2. सरपंच,
   ग्राम पंचायत..... जनपद पंचायत .....
   जिला .....

आवेदक का फोटोग्राफ

विषयः– मुख्यमंत्री मंत्री मजदूर सुरक्षा योजना के अंतर्गत ☐ पंजीयन/नवीनीकरण हेतु आवेदन पत्र ।

आवेदक का समग्र नम्बर ☐☐☐☐☐☐☐☐☐

आवेदक का आधार नम्बर ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

आवेदक का बीपीएल कार्ड क्रंमांक ☐☐☐☐☐☐

1. आवेदक का नाम .....
2. पिता/पति का नाम .....

.3. जाति वर्ग ☐

एससी	एसटी	ओबीसी	सामान्य	अल्प संख्यक

4. आवेदक की जन्म तिथि ☐☐ ☐☐ ☐☐☐☐

5. आवेदन के समय आयु ☐

6. आवेदक के मूल निवास स्थान का पूर्ण पता .....

7. आवेदक के वर्तमान निवास स्थान का पूर्ण पता .....

8. आवेदक विवाहित/अविवाहित है — हॉ | नहीं

9. आवेदक भूमिहिन खेतिहर मजदूर है अथवा नहीं — हॉ | नहीं

10. आवेदक मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार मंडल में पंजीकृत है अथवा नहीं — हॉ | नहीं

11. आवेदक की शैक्षणिक योग्यता (यदि कोई हो तो) .....

12. आवेदक के परिवार के सदस्यों का विवरण

क्रं.	नाम	आयु	पंजीकृत भूमिहीन खेतीहर मजदूर से संबंध
1			
2			
3			
4			
5			
6			

11. क्या आवेदक को राज्य शासन अथवा किसी स्थानीय संस्था से भरण–पोषण हेतु कोई राशि, अनाज/अन्य सहायता प्राप्त हो रही है ? यदि हां तो कितनी ओर किस रुप में

.....

12. नामांकन – मेरी मृत्यु की दशा में मुझे देय सहायता श्री/श्रीमती/सुश्री .... आयु..... पता..... को जो मेरे ..... है, को दिये जाने हेतु अपनी ओर से नामांकित करता हूँ/ करती हूँ ।

13. मैं सत्य/निष्ठा/ईश्वर की शपथ लेकर कथन करता हूँ/करती हूँ कि मेरे व मेरे परिवार के पास कोई भूमि नहीं है एवं आवेदन पत्र में दिया गया विवरण सही है । सही न पाये जाने पर देय सहायता राशि शासन भू–राजस्व के तहत वसूल कर सकता है ।

स्थान : .....

दिनांकः .....

आवेदक/आवेदिका के हस्ताक्षर/
अंगूठा निशानी

नाम .....

पूर्ण पता .....

:: सत्यापन ::

आवेदक/आवेदिका द्वारा प्रस्तुत किए गये आवेदन पत्र में दिये गये विवरण का सत्यापन मेरे द्वारा किया गया है । विवरण सत्य/असत्य पाया गया ।

स्थान :.....

दिनांक : .....

हस्ताक्षर

पटवारी का नाम.....

पटवारी हल्का नंबर .....

तहसील .....

जिला .....

:: नवीन पंजीयन / नवीनीकरण हेतु अनुशंसा ::

आवेदक/आवेदिका द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र का परीक्षण किया गया । परीक्षण में निम्न कारणों से आवेदन पत्र निरस्त किया जाता है ।

1.
2.
3.

आवेदक/आवेदिका के आवेदन पत्र का विवरण जांच उपरांत सही पाये जाने के कारण मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजना के तहत नवीन पंजीयन/नवीनीकरण किये जाने हेतु अनुशंसा की जाती है ।

स्थान :.....
दिनांक : .....

सरपंच	सचिव
ग्राम	ग्राम .....
जनपद पंचायत	जनपद पंचायत .....
जिला	जिला .....
ग्राम पंचायत की सील	ग्राम पंचायत की सील

टीपः– अपरिहार्य कारणों से ग्राम पंचायत के सरपंच के उपलब्ध न होने पर उप सरपंच हस्ताक्षर करेंगे ।

मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजना के हितग्राही एवं उसके परिवार का विवरण
पंजीयन एवं नवीनीकरण

पंजीयन क्रं0	जारी होने का दिनांक	वैद्यता अवधि	नवीनीकरण

आवेदक का समग्र नम्बर

आवेदक का आधार नम्बर

आवेदक का बीपीएल कार्ड क्रमांक

आवेदक का फोटो

1. नाम :–.....
2. पिता/पति का नाम :– .....
3. पता :– .....
   ग्राम का नाम .....
   ग्राम पंचायत का नाम.....
   जनपद पंचायत का नाम .....जिला.....
4. जन्म तिथि दिनांक ☐ माह ☐ वर्ष ☐ पंजीयन के समय आयु ☐
5. जाति एवं वर्ग अनु0 जाति ☐ अनु0 जनजाति ☐ पिछड़ा वर्ग ☐ सामान्य ☐
6. विवाहित/अविवाहित ☐ हॉ ☐ नहीं
7. वर्तमान व्यवसाय .....
8. पंजीकृत हितग्राही एवं परिवार के सदस्यों का विवरण

क्रं.	परिवार के सदस्यों नाम	आयु	पंजीकृत भूमिहीन खेतीहर मजदूर से संबंध
1			
2			
3			
4			
5			
6			

1) बैंक/पोस्ट ऑफिस का नाम .....
2) बचत खाता क्रं. .....
3) IFSC कोड .....

हस्ताक्षर व सील

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जनपद पचायत .....
जिला .....